

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 136/2019

दायर दिनांक: 05/09/2019

## उनवान

1. रामकेदार आयु वर्ष पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

## वादी

## बनाम

1. कल्याण आयु 80 वर्ष पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

## प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर०टी०एक्ट

## उपस्थिति :-

वादी:— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव ।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ।

## आदेश

दिनांक : 19/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर० टी० एक्ट के तहत विवादित आराजी ग्राम बेडक्या के ख०नं० 230 रकबा 1.11 है० व खसरा नं० 230/502 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 रकबा 1.12 है० में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 19.12.2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/ राजस्व/ 2021/868 दिनांक 07.06.2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2019 अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम बेडक्या के खाता संख्या 12 का ख०नं० 230 की 1.11 है० तथा ख०नं० 230/502 की 0.01 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 है० भूमि में वादी रामकेदार

पुत्र भंवर्या तथा प्रतिवादी कम 1 कल्याण पुत्र भंवर्या को हिस्सा 1/2-1/2 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
1.	रामकेदार पुत्र भंवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230	0.55 है0	चाही-1	37	20.35
	कुल खसरा	कुल किता 1	0.55 है0	-	-	20.35

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
2.	कल्याण पुत्र भंवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230	0.56 है0	चाही-1	37	20.72
	कुल खसरा	कुल किता 1	2.21	-	-	20.72

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
3.	कल्याण पुत्र भंवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230 / 502	0.01 है	गै0मु0 चाह		
	कुल खसरा	कुल किता 1	0.01 है	-	-	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइल डिक्री मुकदमा इत्दाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 136/2019

उनवान

1. रामकेदार आयु वर्ष पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. कल्याण आयु 80 वर्ष पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।  
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर गुप्ता।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित ग्राम बेडक्या के खाता संख्या 12 का ख0नं0 230 की 1.11 है0 तथा ख0 नं0 230/502 की 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि में वादी रामकेदार पुत्र भवर्या तथा प्रतिवादी कम 1 कल्याण पुत्र भवर्या को हिस्सा 1/2-1/2 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
1.	रामकेदार पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230	0.55 है0	चाही-1	37	20.35
	कुल खसरा	कुल किता 1	0.55 है0	-	-	20.35

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
2.	कल्याण पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230	0.56 है0	चाही-1	37	20.72
	कुल खसरा	कुल किता 1	2.21	-	-	20.72

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	दर	लगान
3.	कल्याण पुत्र भवर्या जाति माली निवासी बेडक्या खातेदार	230/502	0.01 है	गै0मु0 चाह		
	कुल खसरा	कुल किता 1	0.01 है	-	-	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
 .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
 मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.09.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
 अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
 अटरू जिला बारां (राज0)